



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/781

दिनांक: -21/08/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (9) कम्पनियों का नाम **गुजरात** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA8685819	U51100GJ1990PTC014152	रंग रूप टेक्स-एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA9405446	U74110GJ2021PTC122229	प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड
3	AA9451175	U29130GJ2011PTC068033	अनुपम सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9480792	U72900GJ2021PTC126252	बटवा इन्फोटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AA9530505	U29199GJ1996PTC030706	राजपुरोहित एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AA9571036	U86909GJ2024PTC147426	पादुका हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
7	AA9697441	U15200GJ2016OPC092192	हेडवी एगो-टेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
8	AA9713090	U40108GJ2004PTC043628	टेक्सो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	AA9757520	U51505GJ2022PTC134648	सैन्कस ड्यूरैबल्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र